



जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म०प्र०) विद्यार्थी परामर्श एवं सूचना केन्द्र

कं० 398
दिनांक : 16/9/2014

☎ : 0751 2442820
2442821
mob. : 09425117433

प्रति,

प्रभारी प्राचार्य
चिन्हित महाविद्यालय जिला स्तरीय युवा उत्सव

विषय : अन्तर्जिला विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव 2014-15 का आयोजन
दिनांक 09 एवं 10 अक्टूबर 2014 ।

महोदय/महोदया,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2014-15 के क्रम में अन्तर्जिला विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव 2014 का आयोजन दिनांक 09 एवं 10 अक्टूबर 2014 को प्रातः 10:30 बजे से गालव सभागार, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में आयोजित है। इसमें विजयी छात्र/छात्रा/दल राज्य स्तरीय युवा उत्सव में विश्वविद्यालय दल का प्रतिनिधित्व करेंगे।

अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने जिले के अन्तर्महाविद्यालय जिला स्तरीय युवा उत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र/छात्रा/दल की भागीदारी अन्तर्जिला विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव 2014 में सुनिश्चित कर सहयोग प्रदान करें।

धन्यवाद

भवदीय

संलग्न : विधावार समय – सारणी व कार्यक्रम एवं
प्रतियोगिताओं के नियम


(डॉ० केशव सिंह गुर्जर)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि :

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
2. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
3. कुलसचिव के निजीसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
4. अतिरिक्त संचालक, ग्वालियर-चम्बल सम्भाग, मोतीमहल, ग्वालियर

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
अन्तर्जिला विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव 2014

दिनांक : 09-10 अक्टूबर 2014

स्थान : गालव सभागार

क्र०	विधा का नाम	छात्र/छात्राओं की अधिकतम संख्या	संगतकारों की संख्या	प्रस्तुति की अवधि
दिनांक 09/10/14 (गुरुवार)		प्रातः 10:30 बजे से		
01.	वक्तृत्वकला	01		05 मिनट
02.	वाद-विवाद	02		05 मिनट
03.	प्रश्नमंच	03		
04.	मिमिक्री (उपहास सहित अनुकरण)	01		05 मिनट
05.	शास्त्रीय एकल वादन (परकुशन)	01	02	10 मिनट
06.	शास्त्रीय एकल वादन (नॉन-परकुशन)	01	02	10 मिनट
07.	एकल गायन सुगम	01	02	05 मिनट
08.	एकल गायन पाश्चात्य	01	02	05 मिनट
09.	क्ले मॉडलिंग	01		02:30 घण्टा
10.	कार्टूनिंग	01		01:00 घण्टा
11.	रंगोली	01		02:30 घण्टा
दिनांक 10/10/14 (शुक्रवार)		प्रातः 10:30 बजे से		
12.	एकल नृत्य शास्त्रीय	01	03	15 मिनट
13.	समूह नृत्य (लोक)	08	03	10 मिनट
14.	माईम (मूक अभिनय)	05	02	05 मिनट
15.	स्किट (हास्य नाटिका)	05	02	10 मिनट
16.	एकांकी	08	03	30 मिनट
17.	एकल गायन शास्त्रीय	01	02	15 मिनट
18.	समूह गान भारतीय	06	03	10 मिनट
19.	समूह गान पाश्चात्य	06	03	10 मिनट
20.	ऑन द स्पॉट पेंटिंग	01		02:30 घण्टा
21.	कॉलाज	01		02:30 घण्टा
22.	पोस्टर मेकिंग	01		02:30 घण्टा

प्रतियोगिताओं के नियम

वक्तृत्वकला प्रतियोगिता :

1. प्रत्येक जिले से चयनित एक प्रतियोगी भाग ले सकता है।
2. प्रतियोगिता का माध्यम हिन्दी / अंग्रेजी होगा।
3. प्रत्येक प्रतियोगी को अधिकतम 05 मिनट का समय दिया जायेगा।
4. किसी धर्म, जाति, वंश व्यक्ति पर व्यक्तिगत आक्षेप करने पर प्रतियोगी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
7. निर्णय का आधार विषय वस्तु, वैचारिक संयोजन, शैली/उच्चारण एवं समग्र प्रभाव होगा।
8. प्रतियोगिता का विषय – “ भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वृद्धाश्रम की प्रसांगिकता ”

वाद-विवाद प्रतियोगिता :

1. प्रत्येक जिले से चयनित दो छात्र/छात्राओं का एक दल भाग लेगा। जिसमें एक पक्ष तथा दूसरा विपक्ष में भागीदारी करेगा।
2. प्रतियोगिता का माध्यम हिन्दी / अंग्रेजी होगा।
3. प्रत्येक प्रतियोगी को अधिकतम 5 मिनट का समय दिया जायेगा।
4. किसी धर्म, जाति, वंश, व्यक्ति पर व्यक्तिगत आक्षेप करने पर प्रतियोगी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. निर्णय का आधार वैचारिक स्तर, तर्कशक्ति, अभिव्यक्ति की मौलिकता, उच्चारण/शैली एवं समग्र प्रभाव होगा।
7. प्रतियोगिता का विषय “ भारतीय प्रजातंत्र को समृद्ध युवा ही कर सकता है। ”

प्रश्नमंच (विवज) :

1. प्रत्येक जिले से चयनित तीन छात्र/छात्राओं का एक दल भाग ले सकता है।
2. प्रश्न मौखिक होंगे।
3. प्रतियोगिता दस चक्र में होगी।
4. सरोकार टीम के सही उत्तर पर 10 तथा पास टीम के सही उत्तर पर 5 अंक की पात्रता होगी।
5. वास्तविक प्रतियोगी टीम को 15 सेकेण्ड तथा पूरक टीम को 5 सेकेण्ड का समय दिया जायेगा।
6. इसके अतिरिक्त अन्य नियम / उपनियम विवज मास्टर द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

क्ले मोडलिंग

1. प्रत्येक जिले से चयनित एक प्रतियोगी भाग ले सकता है।
2. प्रतियोगिता का विषय : “ आदिवासी संस्कृति ”
3. प्रतियोगिता का अधिकतम समय 2 घण्टा 30 मिनट निर्धारित है।
4. प्रतियोगी को आयोजकों द्वारा केवल मिट्टी प्रदाय की जायेगी। अन्य सामग्री प्रतियोगी को स्वयं लाना होगी।
5. निर्णय का आधार निर्णायकों द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

कार्टूनिंग

1. प्रत्येक जिले से चयनित केवल एक प्रतियोगी भाग ले सकता है।
2. प्रतियोगिता का अधिकतम समय 01 घण्टा निर्धारित है।
3. कागज का साईज 22”x15” रहेगा।।
4. प्रतियोगिता का विषय – “ भ्रष्टाचार ” है।
5. प्रतियोगी को आयोजकों द्वारा केवल कागज प्रदाय किया जायेगा।
6. निर्णय का आधार निर्णायकों द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

एकल नृत्य (शास्त्रीय) प्रतियोगिता :

1. प्रत्येक जिले से चयनित एक छात्र / छात्रा भाग ले सकते हैं।
2. संगतकारों की अधिकतम संख्या 3 रहेगी।
3. नृत्य का आधार मान्य नृत्य विधा जैसे – कथक, कथककली, भरतनाट्यम, मणीपुरी, ओडिसी एवं कुचिपुड़ी आदि में से कोई भी हो सकता है।
4. प्रस्तुति में टेप रिकार्ड का प्रयोग वर्जित है।
5. प्रत्येक प्रतियोगी को प्रस्तुति के लिये अधिकतम समय 15 मिनट होगा। जिसमें मंच सज्जा एवं बैठक व्यवस्था का समय भी सम्मिलित है।
6. निर्णय का आधार स्तर, ताल, अभिनय, विधि, लय, अभिव्यक्ति, वेश-भूषा, पद चालान एवं सामान्य प्रभाव होगा।

समूह नृत्य (लोक) प्रतियोगिता :

1. प्रत्येक जिले से चयनित छात्र / छात्राओं का एक दल भाग ले सकता है।
2. प्रतियोगियों की अधिकतम संख्या 8 होगी व संगतकार 3 हो सकते हैं।
3. नृत्य के लिये अधिकतम समय 10 मिनट निर्धारित हैं।
4. नृत्य का आधार लोक अथवा पारम्परिक हो सकता है।
5. टेप अथवा रिकार्ड का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
6. निर्णय का आधार नृत्य पद्धति लोक पद्धति का निर्वाह, लय-ताल का सामंजस्य, नृत्य वेश-भूषा, मेकअप, उचित वाद्ययंत्रों का उपयोग एवं समग्र प्रभाव होगा।

एकांकी प्रतियोगिता :

1. प्रत्येक जिले से चयनित छात्र / छात्राओं का एक दल भाग ले सकता है।
2. प्रत्येक दल में प्रतियोगियों की अधिकतम संख्या 8 निर्धारित है।
3. संगतकारों की अधिकतम संख्या 3 रहेगी।
4. प्रस्तुति का अधिकतम समय 30 मिनट निर्धारित है।
5. एकांकी हिन्दी, अंग्रेजी अथवा मध्य प्रदेश की किसी भी क्षेत्रीय भाषा में हो सकता है।
6. भाग लेने वाली टीम आवश्यकतानुसार सेट, वेश-भूषा, मेकअप, मंच सज्जा आदि की व्यवस्था स्वयं करेंगी।
7. मंच पर सेट रखने व हटाने का अधिकतम समय 10 मिनट निर्धारित है।
8. निर्णय का आधार कथा वस्तु का निर्वाह, पात्रों का अभिनय, कथा वस्तु के अनुरूप मंच सज्जा, वेश-भूषा, मेकअप एवं समग्र प्रभाव होगा।

माईम (मूकाभिनय)

1. प्रत्येक जिले से चयनित छात्र / छात्राओं का एक दल भाग ले सकता है।
2. प्रत्येक दल में प्रतियोगियों की अधिकतम संख्या 5 निर्धारित है।
3. संगतकारों की अधिकतम संख्या 2 रहेगी।
4. प्रस्तुति का अधिकतम समय 05 मिनट निर्धारित है।
5. निर्णय का आधार विचार, प्रस्तुति की रचनात्मकता, संगीत एवं रूप सामग्री तथा समग्र प्रभाव होगा।

स्किट

1. प्रत्येक जिले से चयनित छात्र / छात्राओं का एक दल भाग ले सकता है।
2. प्रत्येक दल में प्रतियोगियों की अधिकतम संख्या 5 निर्धारित है।
3. संगतकारों की अधिकतम संख्या 2 रहेगी।
4. प्रस्तुति का अधिकतम समय 10 मिनट निर्धारित है।
5. निर्णय का आधार कथावस्तु, अभिनय, मंच सज्जा, रचना एवं समग्र प्रभाव होगा।

मिमिक्री

1. प्रत्येक जिले से एक प्रतियोगी भाग ले सकता है।
2. प्रस्तुति के लिये अधिकतम 05 मिनट का समय निर्धारित है।
3. प्रस्तुति का आधार मशीनों की आवाज, पशु-पक्षियों की आवाज, वाद्य यंत्रों की आवाज, प्रसिद्ध व्यक्ति, अभिनेता एवं अभिनेत्री की आवाज की नकल होगी। किसी भी दशा में फूहड़ या अश्लील प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
4. किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय पर आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।
5. निर्णय का आधार आवाज का उतार-चढ़ाव, पिच एवं समग्र प्रभाव होगा।

कोलाज

1. प्रत्येक जिले से चयनित एक प्रतियोगी भाग ले सकता है।
2. प्रतियोगिता का विषय : "आपदा प्रबंधन"
3. प्रतियोगिता का अधिकतम समय 2 घण्टा 30 मिनट निर्धारित है।
4. कागज का साईज 22"x15" रहेगा।
5. प्रतियोगी को आयोजकों द्वारा केवल कागज प्रदाय किया जायेगा। कैंची, चिपकाने वाला मटेरियल व अन्य सामग्री प्रतियोगी को स्वयं लाना होगी।
6. निर्णय का आधार निर्णायकों द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

समूह गान (भारतीय) प्रतियोगिता :

1. प्रत्येक जिले से चयनित छात्र / छात्राओं का एक दल भाग ले सकता है।
2. प्रत्येक दल में प्रतियोगियों की अधिकतम संख्या 6 एवं संगतकारों की संख्या 3 हो सकती है।
3. प्रत्येक दल को एक देश भक्ति गीत एवं एक लोक गीत गाना आवश्यक है।
4. समूह गान हिन्दी भाषा एवं लोक गीत किसी भी क्षेत्रीय भाषा में हो सकता है।
5. समूह गान एवं लोक गीत के लिये अधिकतम समय 10 मिनट निर्धारित हैं।
6. मंच व्यवस्था के लिये अधिकतम 04 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जायेगा।
7. निर्णय का आधार गायकी, प्रस्तुति, स्वर ताल का सामंजस्य एवं समग्र प्रभाव होगा।

समूह गान (पाश्चात्य) :

1. प्रत्येक जिले से चयनित छात्र / छात्राओं का एक दल भाग ले सकता है।
2. प्रत्येक दल में प्रतियोगियों की अधिकतम संख्या 6 एवं संगतकारों की संख्या 3 हो सकती है।
3. समूह गान केवल अंग्रेजी भाषा में ही हो सकता है।
4. समूह गान के लिये अधिकतम समय 10 मिनट निर्धारित हैं।
5. मंच व्यवस्था के लिये अधिकतम 04 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जायेगा।
6. निर्णय का आधार गायकी, प्रस्तुति, स्वर ताल का सामंजस्य एवं समग्र प्रभाव होगा।

ऑन द स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता :

1. प्रत्येक जिले से चयनित एक प्रतियोगी भाग ले सकता है।
2. प्रतियोगिता का विषय प्रतियोगिता स्थल पर ही निर्धारित किया जायेगा।
3. प्रतियोगिता का अधिकतम समय 2 घण्टा 30 मिनट निर्धारित है।
4. पेंटिंग के लिये कागज का साईज 22" x 15" ही रहेगा।
5. पेंटिंग तेलीय, जलीय, पोस्टर या पेस्टल रंगों में की जा सकती है।
6. प्रतियोगी ब्रश, रंग आदि की व्यवस्था स्वयं करेंगे। कागज का प्रदाय आयोजककर्ता द्वारा किया जायेगा।
7. निर्णय का आधार रंग-चयन, कथ्य एवं संयोजन होगा।

रंगोली

1. प्रत्येक जिले से चयनित एक प्रतियोगी भाग ले सकता है।
 2. प्रतियोगिता का विषय प्रतियोगिता स्थल पर ही निर्धारित किया जायेगा।
 3. प्रतियोगिता का अधिकतम समय 2 घण्टा 30 मिनट निर्धारित है।
 4. प्रतियोगी को प्रतियोगिता से सम्बन्धित समस्त सामग्री स्वयं लाना होगी। इस कला को विविध क्षेत्रों में विविध नामों जैसे - अल्पना, मांडना, आलेखन, कॉलम, रंगोली आदि।
 5. प्रतियोगी माध्यम एवं आकार के लिये स्वतंत्र है। वर्णनात्मक, चित्रात्मक अथवा मुक्त चित्रण किया जा सकता है।
 5. निर्णय का आधार निर्णायकों द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
-

पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता :

1. प्रत्येक जिले से चयनित एक प्रतियोगी भाग ले सकता है।
2. प्रतियोगिता का विषय—“भारतीय समाज के प्रमुख उत्सव” है।
3. प्रतियोगिता का अधिकतम समय 2 घण्टा 30 मिनट निर्धारित है।
4. पेन्टिंग के लिये कागज का साईज 22” x 15” ही रहेगा।
5. पेन्टिंग तेलीय, जलीय, पोस्टर या पेस्टल रंगों में की जा सकती है।
6. प्रतियोगी ब्रश, रंग आदि की व्यवस्था स्वयं करेंगे। कागज का प्रदाय आयोजककर्ता द्वारा किया जायेगा।
7. निर्णय का आधार रंग-चयन, कथ्य एवं संयोजन होगा।

शास्त्रीय एकल वादन (ताल वाद्य)

1. प्रत्येक जिले से एक प्रतियोगी भाग ले सकता है।
2. संगतकारों की अधिकतम संख्या दो होगी।
3. प्रतियोगी केवल एक ही वाद्य यंत्र पर अपनी प्रस्तुति देगा तथा अपने वाद्य यंत्र स्वयं लेकर आयेंगे।
4. प्रस्तुति के लिये अधिकतम 10 मिनट का समय निर्धारित है।
6. निर्णय का आधार प्रस्तुति, ताल का चयन एवं समग्र प्रभाव होगा।

शास्त्रीय एकल वादन (स्वर वाद्य)

1. प्रत्येक जिले से एक प्रतियोगी भाग ले सकता है।
2. संगतकारों की अधिकतम संख्या दो होगी।
3. प्रतियोगी केवल एक ही वाद्य यंत्र पर अपनी प्रस्तुति देगा तथा अपने वाद्य यंत्र स्वयं लेकर आयेंगे।
4. प्रस्तुति के लिये अधिकतम 10 मिनट का समय निर्धारित है।
5. पाश्चात्य वाद्य यंत्र पर भी हिन्दुस्तानी राग की प्रस्तुति दे सकते हैं।
6. निर्णय का आधार प्रस्तुति, स्वर-ताल का सामंजस्य, राग का चयन एवं समग्र प्रभाव होगा।

एकल गायन (शास्त्रीय) :

1. प्रत्येक जिले से एक प्रतियोगी भाग ले सकता है।
2. संगतकारों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है।
3. प्रस्तुति हिन्दुस्तानी अथवा कर्नाटक शैली में हो सकती है।
4. प्रस्तुति का अधिकतम समय 15 मिनट है।
5. प्रस्तुति में फिल्मी व रिकॉर्डेड गाने वर्जित हैं।
6. निर्णय का आधार राग का चयन, प्रस्तुति, स्वर, ताल का सामंजस्य एवं समग्र प्रभाव होगा।

एकल गायन सुगम

1. प्रत्येक जिले से केवल एक प्रतियोगी भाग ले सकता है।
2. संगतकारों की अधिकतम संख्या दो होगी।
3. प्रस्तुति के लिये अधिकतम 03 से 05 मिनट का समय दिया जायेगा।
4. प्रस्तुति में केवल गैर फिल्मी गाने जैसे - गीत, गजल, भजन आदि गाये जा सकते हैं।
5. निर्णय का आधार प्रस्तुति, स्वर-ताल का सामंजस्य एवं समग्र प्रभाव होगा।

एकल गायन (पाश्चात्य) :

1. प्रत्येक जिले से एक प्रतियोगी भाग ले सकता है।
2. संगतकारों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है।
3. प्रस्तुति अंग्रेजी भाषा में ही हो सकती है।
4. प्रस्तुति का अधिकतम समय 03 से 05 मिनट है।
5. प्रस्तुति में फिल्मी व रिकॉर्डेड गाने वर्जित हैं।
6. निर्णय का आधार राग का चयन, प्रस्तुति, स्वर, ताल का सामंजस्य एवं समग्र प्रभाव होगा।